प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 12.08.2026

थाना टीला मोड़ पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा नवजात शिशुओं की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 05 अभियुक्त व 02 अभियुक्ता गिरफ्तार, अपहृत नवजात 03 माह के शिशु को सकुशल प्राप्त कर परिजनों को सुपुर्द किया गया।

कार्यवाही का विवरणः-दिनांक 11.08.2026 को वादी श्री फुरकान पुत्र सहरुद्दीन निवासी करन गेट द्वारा थाना टीलामोड़ पर लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 09.08.2026 को मेरे 03 माह के पुत्र को नौशाद व उसकी पत्नी रुकसार द्वारा अपहृत कर लिया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना टीला मोड़ पर धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

तत्परता से कार्यवाही करते हुए थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज, सुरागरसी-पतारसी एवं सर्विलांस के माध्यम से सूचना संकलित की गई। अथक प्रयास एवं मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 12.08.2026 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा नवजात शिशुओं की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए घटना में संलिप्त 05 अभियुक्त व 02 अभियुक्ता को हिण्डन नदी चौकी क्षेत्र फर्रुखनगर से गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन व अपहृत नवजात शिशु को सकुशल परिजनो को सुपुर्द किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे सभी आपस में योजनाबद्ध तरीके से नवजात एवं दुधमुंहे बच्चों को निशाना बनाकर उनका अपहरण करते हैं तथा निःसंतान दम्पत्तियों को मोटी रकम लेकर बच्चों को बेच देते हैं। अभियुक्तों ने बताया कि फुरकान के 03 माह के बच्चे का भी इसी उद्देश्य से अपहरण किया गया था। अभियुक्तों के अनुसार, वे महिलाओं के माध्यम से नवजात एवं दुधमुंहे बच्चों वाले परिवारों में घुल-मिलकर उनकी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करते हैं तथा मौका पाकर बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद बच्चे का फोटो खींचकर व्हाट्सएप के माध्यम से आपस में साझा किया जाता है तथा निःसंतान दम्पत्ति को बच्चे के संबंध में जानकारी देकर सौदा तय किया जाता है। बच्चे की बिक्री से प्राप्त रकम को सभी अभियुक्त आपस में बांट लेते हैं। अभियुक्तों ने बताया कि उक्त बच्चे को दिनांक 09.08.2026 को फुरकान के घर से उठाया गया था तथा उसे मौसीना पत्नी नफीस निवासी कांधला, जनपद शामली को बेचने की बात चल रही थी। बच्चे को श्रीमती सितारा के माध्यम से कांधला, शामली ले जाया जा रहा था, तभी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल परिजनो को सुपुर्द किया गया। पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया कि गिरोह द्वारा बच्चों की तस्करी के लिए स्थान बदल-बदलकर कार्य किया जाता था, जिससे उनकी पहचान एवं गतिविधियों का पता न चल सके।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. **ऐनुल पुत्र कबीरूद्दीन**, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम कनखौदिया, थाना पलासी, जनपद अररिया, बिहार, हाल पता किराये का मकान, पसीना रोड, पंडित कॉलोनी, पानीपत, हरियाणा।
2. **नौशाद पुत्र रशीद**, उम्र करीब 36 वर्ष, निवासी ग्राम दतियाना, थाना कोतवाली, जनपद मुजफ्फरनगर, हाल पता गली नं0 04, करन गेट चौकी के सामने, थाना टीला मोड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

3. **नागेन्द्र उर्फ सुक्का पुत्र बद्री प्रसाद**, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी ग्राम एदलपुर, थाना काठी, जनपद मुजफ्फरपुर, बिहार, हाल पता गली नं0 07, बुद्ध बाजार, राहुल गार्डन, बेहटा हाजीपुर, थाना लोनी बॉर्डर, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
4. **नसीम पुत्र वकील**, उम्र करीब 38 वर्ष, निवासी मौहल्ला दरबार खुर्द, कैराना, थाना कैराना, जनपद शामली।
5. **आबिद पुत्र केशू**, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी ग्राम सिलावर, थाना आदर्श मंडी, जनपद शामली।
6. **श्रीमती सुमित्रा पत्नी रामकुमार**, उम्र करीब 58 वर्ष, निवासी तैय्यबपुर, थाना ठाकुरगंज, जनपद किशनगंज, बिहार।
7. **रुकसार पत्नी नौशाद**, निवासी ग्राम दतियाना, थाना कोतवाली, जनपद मुजफ्फरनगर, हाल पता करन गेट पुलिस चौकी के सामने, थाना टीला मोड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

वांछित अभियुक्तगण का विवरणः-

1. **सितारा पत्नी सहजाद**, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी राजादगान, थाना कांधला, जनपद शामली।
2. **मौसीना पत्नी नफीस**, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी राजादगान, थाना कांधला, जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

- 02 मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।

-ः निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 163, बीएनएसएस-2023ः-

दिनांक 15.08.2026 को राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में असामाजिक तत्वों एवं खतरों, ड्रोन/यूएवी/पैराग्लाइडर/हॉट बैलून/अन्य उड़ने वाली वस्तुओं से आशंकित खतरों के दृष्टिगत् ऐसे तत्वों तथा ड्रोन/यूएवी/पैराग्लाइडर/हॉट वैलून/अन्य उड़ने वाली वस्तुओं पर प्रभावी अंकुश लगाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है। चूंकि समय कम है और इस आदेश को तामील करके व्यक्तिगत सुनवाई किया जाना सम्भव नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रकरण की गम्भीरता एवं तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुये एक पक्षीय निषेधात्मक आदेश पारित करना अपरिहार्य हो गया है।

अतः मैं राजकरन नैय्यर, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था एवं यातायात, कमिश्नरेट गाजियाबाद धारा-163 बीएनएसएस-2023 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था कायम रखने तथा प्रशान्ति के अनुरक्षण हेतु शांति व्यवस्था की दृष्टि से निम्न निषेधात्मक आदेश पारित करता हूँ -

1. राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के दृष्टिगत् सम्पूर्ण कमिश्नरेट गाजियाबाद को नो-ड्रोन जोन/अस्थायी रेड जोन पोषित किया जाता है। जिसमें किसी भी प्रकार के ड्रोन (DRONE)/यूएवी (Unmanned Aerial Vehicle)/पैराग्लाइडर/ हॉट वेलून अन्य उड़ने वाली वस्तुओं को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है।

2. उक्त अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने वाले आयोजक मीडियाकर्मी या अन्य कोई व्यक्ति/संगठन द्वारा इस प्रतिबंधित क्षेत्र (सम्पूर्ण गाजियाबाद) में ड्रोन/यूएवी/पैराग्लाईडर हॉट बैलून/अन्य उड़ने वाली वस्तुएँ उड़ाना चाहते हैं अथवा उससे फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करना चाहते है तो इसके लिये तत्काल संबंधित स्थानीय थाने को ड्रोन एवं ड्रोन ऑपरेटर की पूर्ण जानकारी देगें एवं इस संबंध में संबंधित पुलिस उपायुक्त से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ड्रोन/यूएवी का अनुमति के अनुसार प्रयोग करेंगे।

3. इसके अतिरिक्त कमिश्नरेट के विभिन्न राजकीय कार्यालयों/प्रतिष्ठानों एवं अन्य स्थानों पर भी संबंधित पुलिस उपायुक्त की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के ड्रोन यूएवी/पैराग्लाईडर/हॉट बैलून/अन्य उड़ने वाली वस्तुएँ उड़ाने एवं उससे शूटिंग/फोटोग्राफी नहीं की जायेगी।

4. यदि प्रतिबंध के उपरान्त भी प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी व्यक्ति/समूह द्वारा ड्रोन/यूएवी/पैराग्लाईडर/हॉट बैलून/अन्य उड़ने वाली वस्तुओं को उड़ाया जाता है तो तत्काल उक्त ड्रोन/यूएवी/पैराग्लाईडर/हॉट बैलून/अन्य उड़ने वाली वस्तु को नष्ट कर दिया जायेगा एवं संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता एवं सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

5. इस अधिनियम के उल्लंघन के फलस्वरूप दाखिल किये जाने वाला परिवाद सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दायर किया जायेगा।

चूंकि परिस्थितियों की संवेदनशीलता कुछ इस प्रकार है कि समयाभाव के कारण उन्हें जिन्हें कि यह आदेश अभिप्रेत है, व्यक्तिगत रूप से सुना जाना सम्भव नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह आदेश कमिश्नरेट गाजियायाद की सम्पूर्ण सीमा में तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश के प्रवर्तन का दायित्व कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस विभाग पर होगा।

यह आदेश एक पक्षीय रूप से आज दिनांक 12.08.2026 को जारी किया गया है। उक्त आदेश कमिश्नरेट गाजियाबाद की सीमाओं के अन्तर्गत दिनांक 15.08.2026 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा।

थाना लोनी पुलिस द्वारा प्रतिबंधित चाइनीज मांझा की बिक्री/तस्करी करने वाले 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।

आज दिनांक 12/08/2026 को थाना लोनी पर सूचना मिली कि इंदिरा मार्केट में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा की बिक्री की जा रही है, सूचना उपरोक्त पर थाना लोनी पुलिस द्वारा मौके पर दबिश दी गई तो इन्द्रा मार्केट लोनी से प्रतिबंधित चाइनीज मांझा की 167 रोल बरामद की गई एवं मौके से अभियुक्तगण 1. इमरान पुत्र अकबर 2. सुधांशु पुत्र जय भगवान 3. निशान्त पुत्र सोमवीर सिंह को गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा- 223बी/125 बीएनएस व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि हम लोग दिल्ली से उपरोक्त प्रतिबंधित चाइनीज मांझा को तस्करी कर लाते थे, इसको अच्छे दामों में बेचकर अपने शौक पूरे करते थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम/पता-

1.इमरान पुत्र अकबर निवासी ग्राम डोला थाना सिंगावली बागपत हाल पता बाबू होटल के पास में अशोक विहार लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष ।

2. सुधांशु पुत्र जय भगवान निवासी ग्राम खेकडा थाना खेकडा बागपत हाल पता इंदिरा मार्केट लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष ।

3. निशान्त पुत्र सोमवीर सिंह निवासी ग्राम छज्जुपुर थाना कपुरपुर हापुड, उम्र करीब 19 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

प्रतिबंधित चाइनीज मांझा 167 रोल बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

कार्यवाही करने वाली टीमः-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 04.08.2026 को थाना मसूरी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री के साथ छेड़छाड़ करना, अभद्रता करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर तत्काल सुसंगत धारा 75 / 76बीएनएस व 9एम/10 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 11.08.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त महबूब पुत्र अशगर को थाना क्षेत्र मसूरी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि वादी और मैं एक ही मौहल्ले के रहने वाले है तथा एक-दूसरे को जानते पहचानते है, मैंने कुछ दिन पहले उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ व अभद्रता कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

महबूब पुत्र अशगर निवासी ग्राम मयूरबिहार नई मस्जिद के पास थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मसूरी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 10.08.2026 को थाना निवाडी पर वादिया द्वारा तहरीर दी कि अभियुक्त सचिन पुत्र प्रदीप निवासी कस्बा पतला थाना निवाडी गाजियाबाद द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ गलत काम करना जिस कारण वादिया की पुत्री का गर्भवती हो जाना और जान से मारने की धमकी देना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाड़ी पर सुसंगत धारा 65(1)/351(3) बीएनएस व 5J(ii)/6 पॉक्सो एक्ट के

अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 12.08.2026 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सचिन को ग्राम खिन्दौडा बम्बे के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरी वादिया की पुत्री के साथ पूर्व से दोस्ती थी और मैंने बहला-फुसलाकर उसके साथ गलत काम कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सचिन पुत्र प्रदीप निवासी कस्बा पतला थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना निवाडी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा समस्त थानों पर 'वादी संवाद दिवस' आयोजित किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में जनता को त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण न्याय दिलाने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गाजियाबाद में **वादी संवाद नीति** लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बुधवार को सभी थानों पर **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया जाता है। जिसके क्रम में आज दिनांक **12.08.2026** दिन **बुधवार** को कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थानों पर पूर्व की तरह **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया गया।

वादी संवाद दिवस का उद्देश्य वादियों और पुलिस के बीच सार्थक संवाद स्थापित कर पारदर्शिता, विश्वास एवं शीघ्र न्याय की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करना है। जिसके क्रम में विवेचनाधीन अभियोगों (एफ0आई0आर0/एन0सी0आर0) तथा गुमशुदगी से सम्बन्धित वादी को थाने पर आमंत्रित कर सम्बन्धित विवेचकों के साथ संवाद स्थापित करते हुए विवेचना

की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति से अवगत कराते हुए वादियों के सभी प्रश्नों का उचित, तथ्यात्मक एवं संतोषजनक उत्तर देते हुए संतुष्ट किया गया।

आज दिनांक 12.08.2026 को आयोजित किये गए वादी संवाद दिवस का जोन वार विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	जोन	संवाद हेतु थानों पर उपस्थित आये वादियों की संख्या
1.	नगर	54
2.	ट्रांस हिण्डन	78
3.	ग्रामीण	64
कुल कमिश्नरेट गाजियाबाद		**196**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में **वादी संवाद दिवस** गाजियाबाद पुलिस की एक जन सरोकार आधारित पहल है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वादी को अपने प्रकरण की सही जानकारी समय पर मिले एवं उन्हें न्याय की प्रक्रिया पर विश्वास और संतोष प्राप्त हो। यह नई पहल पुलिस व जनता के बीच आपसी सहयोग एवं विश्वास को और अधिक मजबूत करेगी। कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा जनकेन्द्रित पुलिसिंग के दृष्टिगत भविष्य में भी इसी प्रकार के नवाचार जारी रहेंगे।